


भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ), संकट में विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित एक फंड है जो सभी भारतीय मिशन / पोस्ट में उपलब्ध है।

ऐसे भारतीय नागरिक जिन्होंने कानूनी रूप से मेजबान देश में प्रवेश किया हो इस कोष के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

संकट और आपात स्थिति में भारतीय नागरिक सहायता के लिए नजदीकी भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर सकते हैं।

आईसीडब्ल्यूएफ के तहत सहायता पीओआई और ओसीआई पर लागू नहीं होती है।



आईसीडब्ल्यूएफ के तहत योग्य भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सहायता इस प्रकार है:

बोर्डिंग और लॉजिंग

भारत के लिए हवाई मार्ग

आपातकालीन चिकित्सा देखभाल

मामूली अपराधों के संबंध में छोटे जुर्माने और दंड का भुगतान

शव का परिवहन

कानूनी सहयोग

प्रवासी भारतीय/विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता



अधिक जानकारी के लिए, ई-माइग्रेट की वेबसाइट देखें : <https://emigrate.gov.in/ext/static/ICWFGuidelines.jpg>
अन्यथा, दिए गए क्यू-आर कोड को स्कैन करें



Indian Community Welfare Fund (ICWF) is a fund setup in all the Missions/Posts abroad to extend assistance to overseas Indians abroad in times of distress and emergency.

Indian Nationals who migrate to destination countries legally are eligible to receive benefits under the fund.

In times of distress and emergency Indian nationals may approach the nearby Indian Embassy/Consulate for assistance.

Assistance under ICWF is not applicable to POIs and OCIs.



Assistance provided to the deserving Indian Nationals under ICWF is for:

Boarding and lodging (B&L)

Air passage to India

Emergency Medical Care

Payment for small fines and penalties

Transportation of Mortal Remains (TMR)

Legal Assistance

Legal/financial assistance to Indian women deserted by their overseas Indian/foreigner husbands.



For more details, visit the eMigrate website: <https://emigrate.gov.in/ext/static/ICWFGuidelines.jpg>
Or, scan the QR code provided